इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट

**www.delhijalboard.nic.in**

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1434 / 2015 / 12697 दिनांकः 06.11.2015

उप निदेशक (राजस्व)उ0 / उ0पू0

श्री आर0 डी0 पाल,
ए–8 / 57 शास्त्री पार्क एक्सटैंशन,
नत्थूपुरा मोड़ए फूल बाग रोड, बुराड़ी,
दिल्ली–110084.

## आदेश

इस आदेश द्वारा श्री आर0 डी0 पाल, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 28–08–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 05.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री आर0 डी0 पाल, उपस्थित हुए एवं जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 20.07.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 28.08.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने कहा कि प्रश्न संख्या 1 और 2 का उत्तर अधूरा और सही नहीं है। सहायक जनसूचना अधिकारीं को निर्देश दिया जाता है कि दिए गए जवाब में आवश्यक सुधार करके उपलग्ध जानकारी इस आदेश के पारित होने के दस दिन के अन्दर अपीलकर्ता को प्रदान की जाए ।

प्रश्न संख्या 3–4 का सम्बन्ध अभियान्त्रिक विभाग से है । अतः जनसूचना अधिकारीं को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की शिकायत को सम्बद्ध जनसूचना अधिकारीं (अधीक्षण अभियन्ता) को प्रेषित कर दिया जाए ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

5721
09/11/15

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री आर0 डी0 पाल, ए–8 / 57 शास्त्री पार्क एक्सटैंशन, नत्थूपुरा मोड़, फूल बाग रोड, बुराड़ी, दिल्ली–110084.
2. उप निदेशक (राजस्व) उ0 / उ0पू0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0)– I, बुराड़ी ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।